फर्द अहकाम

बाबूलाल व अन्य बनाम प्रभूनारायण व अन्य

संख्या: 118 / 2023

...क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। दिनांक 20.06.2024 को पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली दिनांक 19.7.2024 को पेश हुई। पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार वाद पत्र की मद संख्या एक मे वर्णित वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा न करें वादग्रस्त भूमि पर मलवा मिट्टी आदि नही डाले, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें, वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल न करें, प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग मे बाधा कारित नही करें ऐसा न स्वंय करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन सहित किसी दिगर व्यक्ति से करावे। प्रतिवादी संख्या पांच को आदेश फरमाया जावे कि वह वादीगण की वादग्रस्त भूमि कां सीमांकन कर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करें। बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम शिकार, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 180 रकबा 0.3900 हैक्टेयर का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिश्चित करे। सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप कर रहे हे तो उनको वादी की सीमा चिन्हित जमीन मे दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है। (हिम्मत सिंह) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर) .जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:19 IST
Reason: SelfAttested